जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 13/2017 अनवानी श्री सतनाम सिंह पुत्र करतार सिंह जाति अरोड़ासिख निवासी चक 5 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम अमृतपाल सिंह पुत्र बलवंत निवासी 53 गोल बाजार, श्रीगंगानगर व तहसीलदार श्रीगंगानगर

07.02.2017

प्रार्थी श्री सतनाम सिंह के अभिभाषक श्री ओ.पी.बतरा उपस्थित है। उन्हे एडमिशन के बिन्दू पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार, श्रीगंगानगर में लम्बित इंतकाल प्रकरण चक 5 जैड के खाता सं0 2/2 की की कृषि भूमि के संबंध में अनवानी अमृतपाल सिंह बनाम सरकार व सतनाम सिंह में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। अब चूंकि प्रार्थी इस प्रकरण को आगे चलाना नही चाहता है अर्थात नॉट प्रैस करते है और प्रार्थना की, कि यदि इसी आधार पर उनका प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है।

चूंकि प्रार्थी अब अपने द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पर कोई कार्यवाही नही चाहता है। इसलिए इसी आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 07.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official